**<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>**

**<u>बंटवारा वाद सं0–63/2019</u>**

बृजा देवी.....वादिनी

बनाम

जटा साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **28.06.2023** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा 07 की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 22.03.2022 के आदेश हेतु नियत है।<br>**<u>आदेश (ORDER)</u>**<br>प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा 07 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 22.03.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–01 ता 03 एवं 07 उपस्थित हुये। प्रतिवादीगण कोरोना महामारी के कारण तथा कुछ आवश्यक कागजात उपलब्ध नही रहने के कारण समय पर अपना बयान तहरीरी दाखिल नही कर पाये तथा प्रतिवादीगणों को बयान तहरीरी दाखिल करने से दिनांक 05.01.2021 को वंचित कर दिया गया। प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा 07 आज अपना बयान तहरीरी दाखिल कर रहे है जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रतिवादीगण न्याय पाने से वंचित रह जायेगें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दिनांक 05.01.2021 के आदेश को रिकॉल करते हुये प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा 07 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा करें।<br>वादिनी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा 07 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादीगण को बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया परंतु पर्याप्त समय देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा जानबुझकर समय पर बयान तहरीरी दाखिल नही किया गया। अतः आवेदन खारिज किया जाय।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा 07 दिनांक 24.09.2019 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 05.01.2021 को प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा 07 को बयान तहरीरी दाखिल करने से | |

**<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>**

**<u>बंटवारा वाद सं0–63/2019</u>**

बृजा देवी.....वादिनी

बनाम

जटा साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 28.06.2023** | वंचित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा 07 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा 07 द्वारा विलंब से बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा 07 का आवेदन मो0–2800/– (दो हजार आठ सौ) रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक 05.01.2021 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–01 ता 03 तथा 07 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है।<br>आगामी दिनांक 27.07.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।<br><br>लेखापित<br><br>अवर न्यायाधीश, प्रथम<br>नरकटियागंज | |